केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/142 दिनांक: 30.05.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00133
CICOM/R/2018/00355

अपीलकर्ता : श्री सत्यपाल, पुत्र – श्री राजकुमार,
गांव व पो0 – सेहलंग, जिला – महेन्द्रगढ़,
हरियाणा – 123027.

निर्णय की तारीख: 30.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	26.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. महापात्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	248/25.05.2018 (133071/24.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित दिनांक 20.11.2017 के पत्र पर की गई कार्यवाहीं से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 26.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को पत्र सं. CICOM-R-2018-00355-SA-055 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
31 MAY 2018
D. No.........
Initials.........